

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) झारिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

सबीर खान पुत्र आदर खान बनाम रा.प्र.स्वान - सरकार

दावा बाबत 88 RTA


मुकदमा नम्बर :- 114 / 2022

निर्णय दिनांक :- 06-06-2022

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार जाकर रोही गजरा झारिया की लमाबन्दी खाता सं. प03 खसरा नं. 16, 283, 33, 66, 664, 665, 67, 644 में अंकित इफ्तवाल खां पुत्र आदर खान के स्वान पर सबीर खान पुत्र आदर खान किये जाने की घोषणा की जाती है। वह खीलदार चूरु उपखण्ड कारागार में अमल दराजद करे। वादी के विरुद्ध किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व किसी प्रकार का सरकारी खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बकाया होने की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।

यह आज तारीख 06-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



क्र.सं. → 1973
06-06-2022